

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 02-04-2011

क्रमांक एफ 10-5/2011/16:- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट कर्मकारों के निम्नलिखित प्रवर्गों को असंगठित कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है, अर्थात:-

क्रमांक	कर्मकारों के नाम
1.	2.
01.	धोबी
02.	दर्जी
03.	माली
04.	मोची
05.	नाई
06.	बुनकर
07.	रिक्शा चालक
08.	घरेलू कामगार
09.	कचरा बीनने वाले
10.	हाथ ठेला चलाने वाले
11.	फुटकर सब्जी, फल, फूल विक्रेता
12.	चाय, चाट ठेला लगाने वाले
13.	फुटपाथ व्यापारी
14.	हमाल, कुली, रेजा
15.	जनरेटर/लाइट उठाने वाले
16.	केटरिंग में कार्य करने वाले
17.	फेरी लगाने वाले
18.	मोटर सायकल/सायकल मरम्मत करने वाले
19.	गैरेज मजदूर
20.	परिवहन में लगे मजदूर
21.	आटो चालक
22.	सफाई कामगार
23.	ढोल/बाजा बजाने वाले
24.	टेंट हाउस में काम करने वाले
25.	वनोपज में लगे मजदूर
26.	मछुवारा
27.	दाई का काम करने वाली
28.	तांगा/बैलगाड़ी चलाने वाले
29.	तेल पेरने वाले

30.	अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाने वाले
31.	गाड़ीवान
32.	घरेलू उद्योग में लगे मजदूर
33.	भड़भूजे (मुर्दा, चना फोड़ने वाले)
34.	पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी/बतख पालन में लगे मजदूर एवं करने वाले
35.	दुकानों में काम करने वाले मजदूर
36.	खेतीहर मजदूर
37.	राऊत, चरवाहों, दूध दुहने वाले
38.	मितानीन
39.	नांव चलाने वाले (नाविक)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(के. डी. कुंजाम)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
रायपुर दिनांक 02-04-2011

पृष्ठांकन क. एफ 10-5/2011/16

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)
4. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
5. सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी, (छ.ग.)
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, (छ.ग.)
8. उप संचालक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित । कृपया राजपत्र की 100 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
रा.क. कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

// २ दिवसीय //

—00—

रायपुर, दिनांक: ०१/०२/२०१२

क्रमांक एफ १०-५/२०११/१६:- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, २००८ की धारा १४ की उप धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा नीचे दी गई सारिणी के कॉलम (१) में विनिर्दिष्ट कर्मकारों के निम्नलिखित प्रवर्ग को असंगठित कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है, अर्थात्

क्रमांक	कर्मकारों के नाम
१.	२.
४०.	कन्सारी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.डी. कुंजाम)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
रायपुर, दिनांक: ०१/०२/२०१२

पृ० क्रमांक एफ १०-५/२०११/१६.

प्रातिनिधि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ०ग०).
- स्टाफ आफीसर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ०ग०).
- श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर(छ०ग०),
- अध्यक्ष, छ०ग० श्रम कल्याण मंडल, रायपुर(छ०ग०),
- कल्याण आयुक्त, छ०ग० श्रम कल्याण मंडल, रायपुर(छ०ग०),
- अध्यक्ष, छ०ग० भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर(छ०ग०),
- साचेव, छ०ग० भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ०ग०),
- सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.....(छ०ग०),
- उपसंचालक/सहायक संचालक/औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,(छ०ग०),
- उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ०ग०),की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित। कृपया राजपत्र की १०० प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

**छत्तीसगढ़ शा
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन मं**

पुर

// अधिसूचना //

रायपुर दिनांक २३.०५.१२

क्रमांक एफ 10-6/2012/16:- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 14 का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी में कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट कर्मकारों के निम्नलिखित प्रवर्ग को असंगठित कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है:-

क्रमांक	कर्मकार का नाम
41	नट-नटनी
42	देवार
43	शिकारी
44	अन्य घुमन्तु जाति
45	खैरवार
46	रसोईयां
47	हड्डी बीनने वाले (हड्बिन्ने)
48	काष्ठगार में काम करने वाले हम्माल
49	समाचार पत्र बांटने वाले (हॉकर)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मालवीय)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
रायपुर दिनांक २३.०५.१२

क्रमांक एफ 10-6/2012/16,
प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
 - श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
 - अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
 - अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
 - निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
 - सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
 - सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.....(छ.ग.)
 - उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,(छ.ग.)
 - उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर दिनांक ०२ जुलाई, 2013

क्रमांक एफ 10-06/2013/16 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी में कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट कर्मकार के निम्नलिखित प्रवर्ग को असंगठित कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है :-

क्रमांक	कर्मकार का नाम
(50)	सिनेमा व्यवसाय में कार्यरत लाईट मैन, स्पोर्ट बॉय, कैमरा मैन, मेकअप मैन ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मालवीय)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

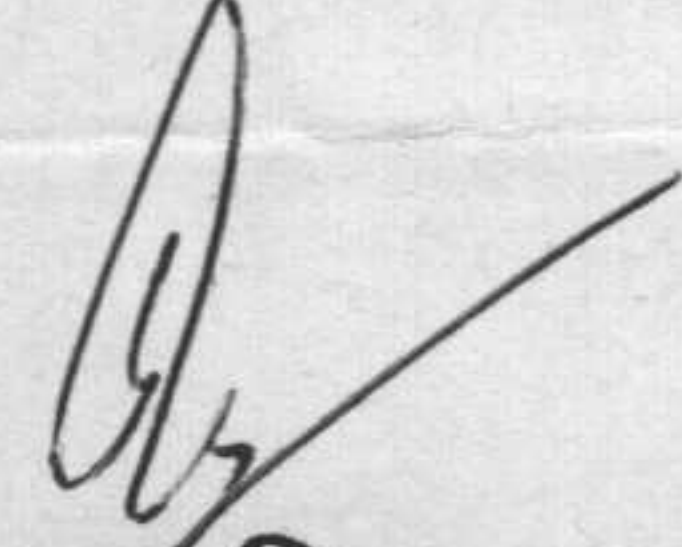
रायपुर दिनांक ०२ जुलाई, 2013

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 10-06/2013/16

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय रायपुर (छ.ग.)।
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर।
7. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)।
8. कलेक्टर जिला(छ.ग.)।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)।
10. श्रम कल्याण आयुक्त, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)।
11. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ.ग.)

12. सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी..... (छ.ग.) ।
13. उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा..... (छ.ग.) ।
14. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्राणालय, राजनांदगाव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

// अधिसूचना //

कार्यालय, श्रम आयुक्त
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

1442

दिनांक 23 AUG 2013

रायपुर दिनांक : 16-08-2013

क्रमांक F 10- 10 /2013/16 :- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी में कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट कर्मकारों के निम्नलिखित प्रवर्ग को असंगठित कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है :-

क्रं.	कर्मकार का नाम
52	कोटवार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नाम से तथा
आदेशानुसार

(जी.आर.मालवीय)
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्र. F 10- 10 /2013/16

रायपुर दिनांक 16-08-2013

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ.ग.)
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
4. सचिव, सह श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ.ग.)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
7. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
8. कलेक्टर, जिला.....(छ.ग.)
9. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ.ग.)